भाग-दो (ब)

प्रस्तर:1 दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया व लक्ष्यों की पूर्ति में विलंभ

प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर, जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध करने की सार्वजनिक योजना है जिस में लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आधार पर किया जाता है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण, जीओ टैगिंग, मनरेगा जॉब कार्ड मैपिंग, आधार नंबर तथा बैंक खाता आदि का विवरण आवास सॉफ्ट में अपलोड कराते हुए आवास स्वीकृति से पूर्व की समस्त औपचारिकताएँ समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना था। इस के अतिरिक्त लाभार्थियों के खाते में (प्रति आवास ` 1.30 लाख) तीन किश्तों में निर्गत की जानी थी तथा आवश्यकता अनुसार अपेक्षित संसाधन जुटाने हेतु सुविधाएं प्रधान करना, बनाए जाने वाले आवास की कड़ी निगरानी और लगातार मार्गदर्शी सहायता किया जाना भी निर्देशित किया गया हैं ताकि योजना के अंतर्गत आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीने की अधिकतम सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

परियोजना निदेशक, ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा (मार्च 2019) के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि:

एसईसीसी 2011 डाटा की वरीयता सूची के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 हेतु भारत सरकार द्वारा पात्र परिवारों को लाभान्वित करने का निर्धारित लक्ष्य तथा तीनों किश्तों की पूरी धनराशि निर्गत कर लाभान्वित परिवारों का विवरण निमन्वत पाया गया:

वर्ष	सामाजिक श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
2016-17	निर्धारित लक्ष्य	311	0	9	15	335
	लाभान्वित परिवार	293	1	9	14	317
2017-18	निर्धारित लक्ष्य	0	0	0	275	275
	लाभान्वित परिवार	0	0	0	111	111

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में वर्ष 2016-17 की एसआईसीसी की प्रतीक्षा सूची में अनु॰जनजाति का कोई परिवार शामिल नहीं था परंतु उक्त जाति के एक परिवार को

योजनान्तर्गत धनराशि आबंटित की गई जैसा कि उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है। अभिलेखों में आगे पाया गया कि उक्त वर्ष में 317 लाभान्वित परिवारों के अतिरिक्त तीन परिवारों को मात्र प्रथम किश्त तथा एक परिवार को दो किश्तों की धनराशि निर्गत करने के उपरांत अन्य किश्तों को वर्तमान तक निर्गत नहीं किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में 111 लाभान्वित परिवारों के अतिरिक्त 110 परिवारों को तीसरी व अंतिम किश्त की धनराशि निर्गत नहीं की गई।

आवास न बनने के कारण इकाई द्वारा अवशेष धनराशि निर्गत नहीं की गई थी। अतः लाभार्थियों द्वारा बनाए जाने वाले आवास की कड़ी निगरानी और लगातार मार्गदर्शी सहायता सुनिश्चित नहीं की गई। इस के अतिरिक्त आवास न बनने पर निर्गत की गई धनराशि की वसूली भी नहीं की गई।

वर्ष 2017-18 में 19 परिवारों को वर्तमान तक ` 60,000/- की मात्र एक किश्त निर्गत की गई थी। इस से स्पष्ट है कि आवास स्वीकृति से पूर्व की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने में विभाग विफल रहा जिससे धनराशि निर्गत करने व आवास निर्माण में भी विलंभ हुआ।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि वार्षिक वरीयता सूचियों का निर्धारण नहीं किया जा रहा था जिस के कारण वरीयता सूचियों में खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वर्षवार पात्र लाभार्थियों की जांच उपरांत जोड़े व काटे गए नामों की अंतिम सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में इकाई विफल रही।

वार्षिक वरीयता सूची न बनाए जाने की बात को स्वीकारते हुए परियोजना निदेशक द्वारा उत्तर में बताया गया कि आवास सॉफ्ट में ही समय समय पर बदलाव किया जाता है तथा अलग से सूची नहीं बनाई गई।

लाभार्थियों को अवशेष किश्तों की धनराशि निर्गत न किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि आवास पूर्ण होने पर ही अंतिम किश्त निर्गत की जाती है तथा औपचारिकताएँ समय से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उत्तर अमान्य है क्योंकि लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण, जीओ टेगिंग आदि विवरण आवास सॉफ्ट में अपलोड कराते हुए आवास स्वीकृति से पूर्व की समस्त औपचारिकताएँ समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया जिस से धनराशि निर्गत करने व आवास निर्माण में विलंब हुआ। इस के अतिरिक्त वर्ष 2016-17 व 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तीन किश्तों की धनराशि संबन्धित वर्षों के अंत तक निर्गत न

किए जाने से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि स्वीकृति से पूर्व की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने में विभाग विफल रहा।

अतः दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया व लक्ष्यों की पूर्ति में विलंभ के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:2 सांसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में 78 प्रतिशत कार्य अपूर्ण/अनारम्भ।

सांसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के नियम 3.13 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। कार्य समापन की समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्य करने मे अधिक समय लगना है उसके लिए विशेष कारणों का उल्लेख होना चाहिये तथा निर्धारित समय मे कार्य पूर्ण न करने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

दिशा-निर्देशों के नियम 3.13 के अनुसार ज़िला प्राधिकारी, ज़िला स्तर पर, योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे और प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनाधीन कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत तक का निरीक्षण करना होगा।

परियोजना निदेशक, ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा (मार्च 2019) के दौरान सांसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 में माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्य अपूर्ण थे। इस के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के अंत में ` 218.45 लाख अभिलेखों में अवशेष प्रदर्शित हो रहे थे। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को कार्यों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि तथा कार्यों की स्थिति अभिलेखों में निमन्वत पायी गई:

(` **लाख में**)

वर्ष	**स्वीकृत कार्यों की संख्या**	**स्वीकृत धनराशि**	**कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि**	**वर्तमान तक (फरवरी 2019) पूर्ण कार्य**	**अपूर्ण/अनारम्भ कार्यों की संख्या**
2016-17	202	158.40	89.13	60	142
2017-18	154	181.30	94.16	20	134
योग	**356**	**339.7**	**183.29**	**80 (22 %)**	**276 (78 %)**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत दो वर्षों में 356 स्वीकृत कार्यों मे 276 कार्य अपूर्ण अथवा अनारम्भ थे।

कार्य समापन की समय-सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस के बावजूद दो वर्षों की अवधि में 276 कार्य अपूर्ण/अनारम्भ रहे। निर्धारित समय मे कार्य पूर्ण न करने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। इस के अतिरिक्त ज़िला स्तर पर योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के निरीक्षण से संबन्धित आख्याएँ व कुल किए गए निरीक्षणों का वर्षवार ब्योरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने मे इकाई विफल रही।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि मौसम की विषम परिस्थितियों के कारण तय समय में कार्य पूर्ण करना संभव नहीं हो पाता है तथा कार्यदायी संस्थाओं को इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा। कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्द कारवाई करने के संबंध में बताया गया कि भविष्य में ज़िला स्तर से कारवाई की जानी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर में आगे बताया गया कि योजनाओं की जांच उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति द्वारा कराई जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विषम परिस्थितियों को संज्ञान में रखते हुए ही कार्य पूर्ण किए जाने की तिथि तय की जानी चाहिए थी। इस के अतिरिक्त टास्क फोर्स समिति की आख्याएँ इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई जिस के फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कार्यों का निरीक्षण किया गया है।

अतः सांसद सदस्य क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 78 प्रतिशत कार्य अपूर्ण/अनारम्भ रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।